

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 09.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 292/25, मु0अ0स0 300/25, मु0अ0स0 240/25 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अनुज यादव पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम रतवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष, 2. लवकुश पुत्र शिवसिंह यादव निवासी ग्राम रतवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष, 3. शशांक उर्फ लवी पुत्र रूपेन्द्र कुमार विश्वकर्मा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम रतवा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 21 वर्ष, 4. नीरज तिवारी पुत्र राजनारायण तिवारी निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 349/25 धारा 151(3) बीएनएस 5एम/6 पॉस्को एक्ट से सम्बन्धित (वांछित) अभियुक्त शिवा राजपूत उर्फ कन्हैया पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम खितारी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. आमिर पुत्र हमीद निवासी मदरसा नूरगंज श्यामनगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष, 2. राजू सिंह पुत्र जगरूप सिंह निवासी ग्राम बसौर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष, 3. बब्लू पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी ग्राम चाँदपुर जरसेन थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने जाने वाली लड़कियों को देखकर अश्लील हरकते करने व गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 178/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शीलू पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम सिखमापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 30 वर्ष द्वारा महिलाओं व लड़कियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 342/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुमित पुत्र बडेलाल उम्र 25 वर्ष निवासी चन्द्रभान कि चक्की के पास कस्बा व थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को रास्ते में आने जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील गाना गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 353/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना शिवली पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।